भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 872

जिसका उत्तर 23.07.2026 को दिया जाना है

केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि

†872. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को कुल निधियाँ स्वीकृत और जारी की गई है और सड़कों, पुलों तथा रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज का प्रयोजन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) जून, 2024 से राज्य राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों के लिए आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि के प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और कितनी परियोजनाएं लंबित और स्वीकृत हैं;

(ग) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में सड़क संपर्क में क्षेत्रीय असमानताओं का आकलन किया है और रायलसीमा क्षेत्र, विशेष रूप से वाईएसआर कडापा जिले के लिए कोई समर्पित राष्ट्रीय राजमार्ग आवंटन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या कितनी है और पिछले दो वर्षों के दौरान दुर्घटना संभावित स्थलों के सुधार कार्यक्रम की स्थिति और वित्तपोषण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार दो योजनाओं, अर्थात, केंद्रीय सड़क अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) (राज्य सड़कें) और सीआरआईएफ (सेतु बंधन) योजनाओं के तहत परियोजनाओं की मंजूरी पर विचार कर रहा है। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक इन दोनों योजनाओं के तहत स्वीकृत और जारी की गई निधियों का विवरण अनुलग्नक - क में संलग्न है।

(ख) राज्य सरकार समय-समय पर सीआरआईएफ के अंतर्गत परियोजनाओं की प्राथमिकता सूची विचारार्थ प्रस्तुत करती है। सरकार बैंक की स्वीकृति और सीआरआईएफ दिशानिर्देशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता सूची से परियोजनाओं की स्वीकृति पर विचार करती है। राज्य सरकार ने जून 2024 से अब तक 299.2 किलोमीटर लंबाई की 20 परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं, जिनकी कुल पूंजीगत लागत 694.85 करोड़ रुपये है और जिन्हें स्वीकृत किया जा चुका है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों का आबंटन राज्य-वार किया जाता है, क्षेत्र-वार आबंटन नही किया जाता है। तथापि, रायलसीमा क्षेत्र के लिए 2572 किलोमीटर लंबाई की 94 परियोजनाएं, जिनकी पूंजीगत लागत 36,682 करोड़ रुपये है, पूर्ण हो चुकी हैं और 17,509 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत वाली 1013 किलोमीटर लंबाई की 39 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(घ) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3286 लोगों की मृत्यु हुई है। सड़क सुरक्षा/ दुर्घटना संभावित स्थल (ब्लैकस्पॉट) सुधार कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है, और निर्धारित मानकों और परियोजना का अपेक्षाओं के अनुसार सभी चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास और अनुरक्षण कार्यों के हिस्से के रूप में उचित सड़क सुरक्षा उपाय शामिल किए जाते हैं और निष्पादित किए जाते हैं। तथापि, सड़क सुरक्षा उपायों के लिए अलग से निधि आबंटित नहीं किया जाता है, क्योंकि ये उपाय राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे विकास और अनुरक्षण कार्यों के दायरे में शामिल हैं।

विगत 2 वर्षों के दौरान, अल्पकालिक उपायों से 240 ब्लैकस्पॉट को सुधारा गया और दीर्घकालिक उपायों से 43 ब्लैकस्पॉट का सुधार किया गया।

अनुलग्नक - क

'केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि' के संबंध में श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी द्वारा दिनांक 23-07-2026 को लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 872 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-क।

सीआरआईएफ (सड़कें)

क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**आबंटित/उपार्जित निधि (रुपये करोड़ में)**	**जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)**
1	2019-20	349.64	350.08
2	2020-21	321.58	322.00
3	2021-22	334.79	300.80
4	2022-23	346.10	344.73
5	2023-24	354.97	485.48
6	2024-25	354.88	302.53
7	2025-26	382.68	435.03

सीआरआईएफ (सेतु बंधन)

क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**आबंटित/उपार्जित निधि (करोड़ रुपये में)**	**जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)**
1	2019-20	शून्य	शून्य
2	2020-21	शून्य	शून्य
3	2021-22	शून्य	शून्य
4	2022-23	63.51	11.82
5	2023-24	65.13	शून्य
6	2024-25	65.12	20.03
7	2025-26	73.40	73.40
